

सहायक आयुक्त कार्यालय(केंद्रीय)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
खाद्य एवं सम्भरण विभाग,
M-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फाइल संख्या :ए.सी.(क)/टी.एफ.पी.एस./सी-19/2022/987-90 दिनांक: 23/06/22

सार्वजनिक सूचना

मंडल संख्या-19(सदर बाजार) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत "हरीजन बस्ती, न्यू रोहतक रोड " क्षेत्र में अस्थाई (केवल तीन महीने हेतु) राशन की एक दुकान खोलना अपेक्षित है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो विभाग के सर्कुलर संख्या एफ.5(7)/misc./P.File/534-536, दिनांक 18/03/2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पात्रता रखता है, वह निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन भर कर अन्य अनिवार्य दस्तावेजों के साथ मंडल संख्या-19(सदर बाजार), 23-24, शौपिंग काम्प्लेक्स, गुलाबी बाग, दिल्ली-110007 में दिनांक 25.06.2021 सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र मंडल संख्या-19(सदर बाजार), से प्राप्त किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के उपरोक्त रिक्ति/रिक्तियों कि संख्या को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

राजेश आर्य

सहायक आयुक्त (केंद्रीय)

फाइल संख्या :ए.सी.(क)/टी.एफ.पी.एस./सी-19/2022/

दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त आयुक्त(केंद्रीय), खाद्य व सम्भरण विभाग, दिल्ली.
2. सभी एफ.एस.ओ.(केंद्रीय जिला), नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु।
3. सूचना प्रौद्योगिकी शाखा (Information Technology Branch) विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय सहायक आयुक्त (केंद्रीय).

राजेश आर्य

सहायक आयुक्त (केंद्रीय)